मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग
निर्वाचन भवन, द्वितीय तल, 58, अरेरा हिल्स, भोपाल
(ए–224 / रासूआ / 30–1 / अशोकनगर / 2006)

श्री भूपेन्द्र बुधोलिया , अपीलार्थी
कृष्णा चौराहा शाढोरा,
जिला अशोकनगर

विरूद्ध

विकास खण्ड अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी,
जिला अशोकनगर,

आदेश
(दिनांक 30 जून 2006)

श्री भूपेन्द्र बुधोलिया ने एक आवेदन पत्र निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करने के लिये लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शाढोरा, जिला अशोकनगर को दिनांक 08.01.2006 को दिया गया था :–

1. धनवंतरी योजना में म0प्र0 शासन द्वारा धनवंतरी विकास खण्ड शाडौरा को प्राप्त राशि एवं राशि के व्यय का विस्तृत ब्यौरा ।

2. शाडौरा प्रा0स्वा0केन्द्र के अन्तर्गत गोकुल ग्रामों में स्वास्थ शिविर लगाने हेतु प्राप्त राशि एवं राशि के खर्च का ब्यौरा ।

3. शाडौरा प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर सम्पन्न हुये दाई सम्मेलन हेतु प्राप्त राशि एवं राशि के व्यय का विवरण ।

2. लोक सूचना अधिकारी से जानकारी नहीं मिलने पर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दिनांक 22.02.06 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने दिनांक 04.03.2006 को अपीलकर्ता को सूचना दी थी कि उन्हे जानकारी संलग्न करके भेजी जा रही है। इस पत्र को भेजने के उपरान्त भी अपीलकर्ता ने यह द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत की है । इसमें अपीलकर्ता ने यह विषय उठाया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सादे कागज पर आंकडे उपलब्ध कराये हैं जबकि उन्होने सत्यप्रति मांगी थी।

3. इस विषय में लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी का यह कहना है कि

उन्होने यह जानकारी अपीलकर्ता को प्रदान कर दी है । इसीप्रकार का प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा भी दिया गया है । उनका यह भी कहना है कि धारा 6(1) के प्रावधानो के अन्तर्गत कोई जानकारी नहीं मांगी गई है और जो जानकारी मांगी गई है उससे विस्तृत जानकारी दे दी गई है।

4. यह प्रकरण दिनांक 29.06.06 को सुनवाई के लिये रखा गया था । इसमें लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी उपस्थित हुए और उन्हे सुना गया । अपीलकर्ता उपस्थित नहीं हुए है।

5. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने इस आवेदन पत्र में कहीं भी अभिलेख की सत्यप्रति नहीं मांगी थी । उन्होने तीन बिन्दुओं पर खर्चे का ब्यौरा मांगा था जो उन्हे प्रदान कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में इस अपील का कोई औचित्य नहीं है । यह अपील नस्तीबद्ध की जाती है।

(टी.एन.श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त
30 जून 2006